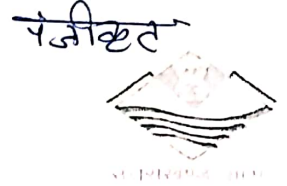




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1832 / 36सी.
सेवा में,

दिनांक रानीखेत अगरत 20/8/2024.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-150404 / 2021)।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/००५/२०२३/एफ.सी./९७४ दिनांक 20.10.23।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	लोक निर्माण विभाग को परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लगात पर 3.366 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम मल्ला गडकोट, खसरा संख्या 38 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	लोक निर्माण विभाग की लागत पर वन विभाग द्वारा ग्राम गैरा, तहसील रानीखेत के खसरा संख्या 629 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय स्वदेशी पौधों का पौधा रोपड किया जाएगा। एकल प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण नहीं जाएगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाएगा।
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को वन विभाग के नाम स्प्टेशन (अमलदरामद) कर दिया गया है। स्प्टेशन खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिया जाना है।

घ)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने के पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	उक्त शर्त वन विभाग से सम्बन्धित है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	लोक निर्माण विभाग से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन.पी.वी. वर्तमान दरों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 26 वृक्षों तथा 28 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों का पातन प्रभावित होने वाले 54 वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण (देख-रेख) में किया जाएगा। वृक्षों से पातन की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विकास निगम के खाते में जमा की जाएगी।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8.	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 परियोजना हेतु लागू नहीं होती है।
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्ताव का ले-आउट प्लान लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।

क्रमशः पेज-3 पर

11.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनों स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों को वन विभाग एवं वन विकास निगम तथा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी क्षेत्र से प्राप्त लकड़ी को दिया जाएगा।
13.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर बनाकर सीमांकन किया जाएगा।
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16.	केद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
17.	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	लोक निर्माण विभाग इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवी के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य होंगी।
19.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने के कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	लोक निर्माण विभाग पूर्व विदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जाएगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।
20.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी।
21.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	लोक निर्माण विभाग पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

क्रमशः पेज-4 पर

23.	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	लोक निर्माण विभाग मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवा का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्व चयनित स्थलों पर इस प्रकार निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से मलवा तय सीमा से नीचे न गिरे साथ ही मलवा का निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	भविष्य में यदि प्रस्ताव में यदि कोई अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश लागू हो तो उनके अधीन अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेवारी होगी।
25.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

[Handwritten Signature]

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1832 / 36सी.

तददिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

प्रमाण पत्र (3 ग)

कार्य का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-150404 / 2021)

प्रमाणित किया जाता है कि बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि के सापेक्ष दुगने क्षेत्रफल में 3.36 है० ग्राम गैरा तहसील रानीखेत की सिविल भूमि का पूर्व में किसी भी अन्य योजना के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

शपथ पत्र (5 ख)

कार्य का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-150404 / 2021)

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से शुद्ध एन०पी०वी० की मूल्य दरों में बढ़ोतरी हुई तो बढी हुई दर के अनुसार एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में विल्लेख से अवेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 168 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 3.36 है० सिविल भूमि का नेयमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 271 (मु०)/तहसील रानीखेत आगणन/2023-24, दिनांक 19 जून, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या सस्तुति के साथ प्रारूप-2 पर आख्या एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/05/2023/एफ.सी./974, दिनांक 20-10-2023 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक- वृक्षारोपण के लिए ग्राम गैरा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र जैना, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि०खतौनी खाता संख्या-10 श्रेणी 9(3)ड के खेत नम्बर 629 रकबा 1.168 है०, खेत नम्बर 631 रकबा 1.190 है०, खेत नम्बर 665 मध्ये रकबा 1.002 है० कुल 3.360 है० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट खुमाड़' तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 6/7 जून, 2024

(विनीत तोमर)

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-

/ग्यारह-

/2023-24

दिनांक:

जून, 2024

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 4- तहसीलदार, रानीखेत।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

- 9(3)5. कृषि राज्य बाजरी

राजस्व उप निरिक्षक
कै.प्र. - ~~मेना~~
मन्सील - राणीखेत
जिला - जयपुर

Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
P/UK/ROAD/16710/2015 ./viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/16710/2015) onst of Ruchiakhai Gangajhala ahodi Timlikhet motor road	ROAD167102015236	6116710236	26 Feb 2021	CA: 1510630/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1422135/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2932765/-	 Paid	Fund Demand Verified by 05 Apr 2024 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 17 May 2024 On Transaction Date 16 Jun 2024	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/300320241438325402_FPUKROAD16 Generated Challan (/UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROA
P/UK/ROAD/150404/2021 ./viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/150404/2021) onstruction of Billekh to Gaira motor road	ROAD1504042021719	61150404719	20 Oct 2023	CA: 1507938/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2171988/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3679926/-	 Paid	Fund Demand Verified by 11 Jan 2024 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment Bank Of India (Challan) Challan Generated 24 Feb 2024 On Transaction Date 12 Apr 2024	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/080120241542125706_FPUKROAD15
P/UK/ROAD/16265/2015 ./viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/16265/2015) eghat Talli Narayan Mandir halbheedha Dharkot Shera unani Malikhet Nagchulakhai motor Road.	ROAD162652015129	6116265129	03 Dec 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1836147/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1836147/-	 Paid	Fund Demand Verified by 22 Sep 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment Bank Of India (Challan) Challan Generated 24 Feb 2024 On Transaction Date 28 Nov 2023	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/220920231103367652_FPUKROAD16
P/UK/ROAD/22981/2016 ./viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/22981/2016) onstruction of Majhera Kumart ore Nored Motor Road	ROAD229812016976	6122981976	16 Nov 2022	CA: 514070/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 633282/- NPV: 0/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1147352/-	 Paid	Fund Demand Verified by 23 Sep 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment Bank Of India (Challan) Challan Generated 23 Sep 2023 On Transaction Date 28 Nov 2023	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/130920231330213342_FPUKROAD22
P/UK/ROAD/10159/2015 ./viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/10159/2015) onstruction of Kuloli Munra evikhal Motor Road	ROAD101592015881	6110159881	30 Dec 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Additional NPV : 1021236/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1021236/-	 Paid	Fund Demand Verified by 15 Feb 2023 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 17 Feb 2023 On Transaction Date 01 Mar 2023	Demand Letter (/writereaddata/Fundpdf/040220231342119599_FPUKROAD10 Generated Challan (/UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROA